(Public Hearing Minutes)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 10.09.2025 का कार्यवृत

मैसर्स शिवम इन्फा किएशन (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 13, गणेश जी मंदिर के पास, खेरदा, सवाई माधोपुर (राजस्थान) द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन परियोजना, खनन पटटा संख्या/प्लॉट न. 2, एरिया 50.62 हैक्टर, उत्पादन क्षमता – 9,47,150.82 टन (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल – 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम– अभयपुर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा व जिला – सवाई माधोपुर, (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक लोक सुनवाई **दिनांक 10.09.2025 को प्रातः 11:00 बजेग्राम पंचायत – टापुर के "भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र", टापुर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा, जिला – सवाई माधोपुर** में श्री सजंय शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रतिनिधी) एवं श्री बलजीत मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान 50 से अधिक लोग उपस्थित रहे जिनमें से 24 लोगों द्वारा उपस्थिति पत्र में हस्ताक्षर दर्ज किये।उपस्थिति पत्र"**परिशिष्ट अ**" पर संलग्न है।

जनसुनवाई हेतु आम सूचना समाचार पत्र सवाई माधोपुर जिलें के गुलाबी हलचल एवं दी इडिंयन एक्सप्रेस के संस्करण में दिनांक 09.08.2025 में प्रकाशित करवा दी गई थी एवं मुनादी दो दिवस पूर्व दिनांक 08.09.2025 को ग्राम – अभयपुर एवं ग्राम पंचायत – टापुर में करवाई गई।

जनसुनवाई हेतु आम सुचना का प्रकाशन स्थानीय, व्यापक स्तर पर पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर आदि में कराया जाना था परन्तु यह नहीं कराया गया।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्री बलजीत मीणा, द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर एवं उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुऐ बताया कि आज की जनसुनवाई ग्राम – अभयपुर में प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन परियोजना के दो खनन पट्टे प्लॉट न. 1 एवं प्लॉट न. 2 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह लोक सुनवाई आयोजित कि जा रही है। जिसमें खनन परियोजना पर्यावरणीय सलाहकार आपको परियोजना के बारे में विस्तार से बताएगें जिसके उपरान्त इस परियोजना से सम्बन्धित आपके सुझाव एवं आपत्तियाँली जाऐगी, जो आप केमरें के सामने मौखिक या लिखित दे सकते हैं।

जिसके उपरान्त खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार दिपक कुमार ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से खनन परियोजना, खनन कार्य से पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) आदि के बारे में पॉवर पॉईन्ट प्रजेन्टेशन की सहायता से विस्तार से बताया। इसी दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ग्राम वासियों से अनुरोध किया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना सें सम्बन्धित विषय जो चर्चा की जा रही है उसको आप ध्यान से सुने व समझे। जिसके बाद पुनः खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार दिपक कुमार को प्रजेन्टेशन हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

इसी दौरान ग्रामवासी श्री बत्ती लाल मीणा ग्राम – ऐचेर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा व जिला – सवाई माधोपुर द्वारा विरोध दर्ज कराया गया जिसके प्रतिउत्तर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के बयान को दर्ज किया जा रहा है। आपके सुझाव एवं आपत्तिया सुनने के लिए ही यह लोक सुनवाई आयोजित की जा रही है। जिसके बाद पुनः खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार दीपक कुमार को प्रजेन्टेशन हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया।

इसी दौरान ग्रामवासी बत्तीलाल द्वारा जन सुनवाई का विरोध करते हुऐ आपत्ति जताई एवं कहा कि आप द्वारा ग्राम वासीयों की कोई सुचना नहीं दी गयी, आप एक महिने बाद की तारिख देते हुऐ दुबारा जनसुनवाई करवाईये तब अधिक से अधिक जनता उपस्थित होगी, इसके बाद ग्रामवासी बत्तीलाल एवं अन्य द्वारा विभिन्न मुददों पर हल्ला करने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ग्रामवासीयों को समझाया कि आप अपनी बात प्रजेन्टेशन के बाद एक–एक कर दर्ज करवाये, इसके बाद प्रजेन्टेशन पुर्ण किया गया।

इसके उपरांत क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया की इस बैठक में उपस्थित सभी जन से मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तिया एवं सुझाव/राय प्रस्तुत कर सकते है।

इसके उपरांत ग्रामवासी श्री बत्ती लाल मीणा ग्राम – ऐचेर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा व जिला – सवाई माधोपुर द्वारा बताया गया की इस खनन विभाग द्वारा इस जनसुनवाई की आम सूचना जारी नहीं कि गई एवं इस खनन परियोजना से मुझे घोर आपत्ति है अतः मैं श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर से समक्ष लिखित में आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें मेंरे एवं मेरें साथी ग्राम वासियों के हस्ताक्षर है। (पत्र **"परिशिष्ट ब"** पर संलग्न है)

इसके उपरान्त ग्रामवासी श्री बत्ती लाल मीणा ग्राम – ऐचेर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा व जिला – सवाई माधोपुर द्वारा आपत्ति पत्र में लिखित बिन्दुओं को एक–एक करके सभा के समक्ष जल्दी–जल्दी असहज तरिके से पढ़ा जाने लगा। इसी कम में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया की आप आराम से एक–एक बिन्दु को इस सभा के समक्ष रखों एवं प्रत्येक बिन्दु पर खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा आपको उत्तर दिया जाएगा।

इसके पश्चात श्री बत्ती लाल मीणा द्वारा बताया गया की इस खनन परियोजना से इस क्षेत्र में पानी की कमी आ जाऐगी, भू–जल का स्तर गिरेगा, जलीय जीव खतम होगे एवं ग्राम – अभयपुर में फ्लोराईड की समस्या से केंसर का खतरा उत्पन्न होगा जिसके प्रतिउत्तर में खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मानस व्यास द्वारा बताया गया कि बजरी का खनन निर्धारित गहराई तक ही किया जाऐगाऔर इस वजह से खनन कार्य से भू–जल पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके उपरान्त श्री बत्ती लाल मीणा द्वारा बताया गया की जिस जगह पर यह खनन पट्टे आवंटित हूऐ वहा बजरी उपलब्ध ना होकर पानी ही पानी है इसके प्रतिउत्तर में खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया की खनन पट्टे खनिज विभाग द्वारा आवंटित किये गये है और खनन कार्य पानी के उतरने पर ही किया जाऐगा।

इसके उपरान्त श्री बत्ती लाल मीणा द्वारा बजरी खनन पट्टों की जगह पर वर्तमान में द्वारा 15 फीट एवं 20 फीट तक पानी भरा हुआ है अतः खनन परियोजना द्वारा उक्त पट्टो पर खनन कार्य

Scanned with OKEN Scanner

नहीं करके अपितु अन्यत्र अवैध खनन करने की सम्भावना रहेगी। इसके उपरान्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा आश्वस्त करते हुऐ बताया की बजरी का खनन कार्य पानी के उतरने के बाद ही किया जाऐगा एवं निर्धारित गहराई तक ही खनन किया जाऐगा जो प्लॉट न. 1 के लिए 3 फिट एवं प्लॉट न. 2 के लिए 5.5 फिट है अगर खनन परियोजना द्वारा अवैध खनन या निर्धारित गहराई से अधिक खनन कार्य किया जाता है या खनन नियमों का उल्लधन किया जाता है तो प्रशासन द्वारा कठोर कार्यवाही का प्रावधान है। इसमें आप लोग भी प्रशासन को शिकायत दे सकतें है।

इसके पश्चात् श्री बत्ती लाल मीणा द्वारा बताया गया की खनन कार्य से पानी में फ्लोराईड का स्तर बढ़ जायेगा। इस हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार से जानकारी चाही गई कि खनन कार्य से पानी में फ्लोराईड का स्तर बढ़ता है या नहीं जिसके प्रतिउत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन कार्य से पानी में फ्लोराईड का स्तर नहीं बढता है।

इसके पश्चात् श्री बत्ती लाल मीणा द्वारा बताया गया की आप–पास के सभी गांव में स्थित नलकुपों के पानी में फ्लोराइड का स्तर बढा हुआ है एवं जहा पर खनन पट्टे आवंटित किया है वहा तो अभी पानी भरा हुआ है। इसके प्रतिउत्तर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा पुनः बताया गया की खनन कार्य पानी के उतरने के बाद ही करवाया जाऐगा एवं जिस जगह पर खनन पट्टे आवंटित है वहॉ सीमा निर्धारण कर ही खनन कार्य किया जाऐगा यदि सीमा से बाहर खनन करते है तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा एवं आवश्यक कार्यवाही कि जावेगी।

इसके पश्चात् श्री बत्ती लाल मीणा द्वारा बताया गया की खनन कार्य से आप–पास प्रदूषण होगा उसको रोकने के लिए प्रावधान है इसके प्रतिउत्तर में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया गया की सम्पर्क सड़को पर नियमित पानी का छिड़काव एवं सड़क के किनारो पर पौधा रोपण इत्यादि प्रावधान है।

इसके पश्चात् श्री बत्ती लाल मीणा द्वारा बताया गया की पुर्व में भी इस क्षेत्र में बनास नदीं पर बजरी खनन कार्य हुआ है उस समय पर्यावरण स्वीकृति हेतु कोई जनसुनवाई आयोजित नहीं की गई इसके प्रतिउत्तर में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया गया की इस सम्बन्ध में भी आप लिखित में आप अपनी आपत्ति दे सकते है।

इसके पश्चात् श्री बत्ती लाल मीणा द्वारा बताया गया की बजरी खनन होने से वाहनों के आवगमन के कारण मिट्टी उडेगी जिससे अमरूदों के बागों में नुकसान होगा जिसके प्रतिउत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि सम्पर्क सड़को के आप–पास वृक्षारोपण किया जाऐगा एवं नियमित पानी का छिड़काव किया जायेगा।

इसके पश्चात् श्री बत्ती लाल मीणा द्वारा बताया गया की बजरी के खनन से नदीं में गहरे गढ्डे बन जायेगे जिससे पशुओं एवं आमजन के साथ हादसा होने का खतरा बना रहेगा जिसके प्रतिउत्तर में क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया की गहरे गड्डे क्यों होगे जब खनन निर्धारित गहराई तक किया जाऐगा।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री हनुमान गुर्जर ग्राम – अभयपुर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा व जिला – सवाई माधोपुर द्वारा बताया गया की नदीं में हादसे की वजह से पुर्व में भी मेरे एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है।

Scanned with OKEN Scanner

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री खुशीराम गुर्जर ग्राम – अभयपुर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा व जिला – सवाई माधोपुर द्वारा बताया गया की फ्लोराईड की वजह से मेरे काका जी श्री दयाराम गुर्जर की मृत्यु हो गई।

इसके पश्चात् श्री बत्ती लाल मीणा द्वारा बताया गया की बजरी खनन से नदीं में जलीय जीवों को खतरा बना रहेंगा जिसके प्रतिउत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार श्री दीपक कुमार द्वारा बताया गया की खनन परियोजना हेतु पुर्व में Base line Survey करवाया गया जिसमें स्पष्ट है कि बजरी खनन से नदीं में जलीय जीवों को कोई खतरा नहीं है।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री मथुरालाल गुर्जर ग्राम – अभयपुर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा व जिला – सवाई माधोपुर द्वारा बताया गया की खनन पट्टों की जगह पर बजरी ना होकर पानी भरा है, सरकार के नियम धरातल पर काम नहीं आते, बाद में खनन कार्य शुरू होने के बाद इनके द्वारा पानी का छिड़काव नहीं किया जायेगा अतः यह खनन पट्टे रद् किये जाये।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री राजेश कुमार मीणा ग्राम – अभयपुर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा व जिला – सवाई माधोपुर द्वारा जानकारी चाही गई की खनन परियोजना के आने से हमारे गांव वासियों को कितना रोजगार मिलेंगा जिसके प्रतिउत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया की खनन परियोजना में 43 लोगो को रोजगार उपलब्ध करानें का प्रावधान है जैसे की पानी के टेंकर चालक इत्यादि एवं ट्रेंक्टर ट्राली मालिको को रियाहती दरों पर बजरी उपलब्ध कराई जायेगी जिससे वो अपना व्यापार कर सके।

इसके पश्चात् अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना के आने से गांव में रोजगार बढेगा एवं वेध खनन होने से राज्य सरकार को राजस्व का फायदा होगा।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री राजेश कुमार मीणा द्वारा जानकारी चाही गई एक ट्रोली में कितने टन बजरी का परिवहन कर सकेंगें जिसके प्रतिउत्तर में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि यातायात नियमों की निर्धारित परिवहन क्षमता के अनुरूप ही परिवहन किया जा सकेगा।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री मस्तराम मीणा ग्राम – ऐचेर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा व जिला – सवाई माधोपुर द्वारा जानकारी चाही गई की खनन परियोजना से बजरी खरीदनें पर कितनी कीमत वसुली जाऐगी। जिसके प्रतिउत्तर में खनन परियोजना के प्रतिनिधी श्री दिलिप पारीक द्वारा बताया गया की हमारे द्वारा वर्तमान रॉयल्टी दरों की चार गुना दर ही वसुली जायेगी जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री गगांधर केवट ग्राम – अभयपुर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा व जिला – सवाई माधोपुर द्वारा खनन परियोजना को रद् करने की मांग की गई।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री रामदयाल जाट ग्राम – टापुर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा व जिला – सवाई माधोपुर द्वारा जानकारी चाही गई की खनन परियोजना द्वारा सम्पर्क सड़को की मरम्मत करवाई जायेगी या नहीं इसके प्रतिउत्तर में खनन परियोजना के प्रतिनिधी श्री दिलिप पारीक द्वारा बताया गया की हमारे द्वारा सम्पर्क सड़को की मरम्मत करवाई जायेगी एवं सड़को के किनारों पर पौधारोपण किया जायेगा तथा सम्पर्क सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव करवाया जायेगा।

इसके उपरान्त ग्रामवासी श्री रामनारायण चौधरी ग्राम – टापुर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा व जिला – सवाई माधोपुर द्वारा बताया गया की इस खनन परियोजना से हमे कोई आपत्ति नहीं है बस खनन परियोजना द्वारा केवल नियमों का एवं पर्यावरण का ध्यान रखा जायें।

Scanned with OKEN Scanner

इसके पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जनसुनवाई के समापन की घोषणा करते हुए सभी ग्रामवासियों को आश्वश्त किया कि जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक रूप से प्राप्त सुझाव एवं आपत्तिया आगे भिजवाई जा रही है, जिनका समिति द्वारा अध्ययन करके ही उचित निर्णय लिया जावेंगा एवं सभी ग्रामवासियो का धन्यवाद ज्ञापित किया।

नोट :– उपस्थित अन्य ग्रामवासियों द्वारा एक समान शिकायत कि प्रतियॉ स्वंय के हस्ताक्षर से जनसुनवाई के अन्त में प्रस्तुत कि गयी जिसकी प्रति **संलग्नक 'स'** पर संलग्न है
(कुल पृष्ठ–16)

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
सवाई माधोपुर

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

"परिशिष्ट-अ" अ

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों, ग्रामवासी / जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स शिवम इन्फ्रा किएशन (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 13, गणेश जी मंदिर के पास, खेरदा, सवाई माधोपुर (राजस्थान) द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन परियोजना, खनन पटटा संख्या / प्लॉट न. 2, एरिया 50.62 हैक्टर, उत्पादन क्षमता – 9,47,150.82 टन (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल – 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम– अभयपुर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा व जिला – सवाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

जनसुनवाई स्थल :– **दिनांक 10.09.2025 को ग्राम पंचायत – टापुर के "भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र", टापुर, तहसील – चौथ का बरवाड़ा, जिला ।**

दिनांक : 10.09.2025.

समय : प्रातः 11.00 बजे।

उपस्थिति पत्र

क्र.स.	नाम	पद नाम / कार्यालय / ग्राम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	श्री संजय शर्मा	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर	9982323246	[signature]
2.	श्री बलजीत मीणा	क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., सवाई माधोपुर	9461239662	[signature]
3.	तारा देवी	सरपंच	9828807178	तारा देवी आपत्ति
4.	RAJ KUMAR UNGAR	JEF RSPCB	8209010515	[signature]
5.	छोटीलाल मीणा	एयेर अभयपुर	9414990919	[signature] आपत्ती दर्ज करता है
6.	[illegible] बैरवा	BDK	9460313574	[signature]

7.	रामराय चौधरी	टापुर	977234 0058	[signature]	आपत्ति दर्ज
8.	रामदयाल जाट	टापुर	6376921644	रामदयाल जाट	आपत्ति दर्ज
9.	दलीप कुमार	श्री लक्ष्मीनारायण प्रतिनिधि शिक्षक संघ	87557796 44	[signature]	
10.	विनय कुमार	श्री केजराराम	946000888 -3	[signature]	आपत्ति दर्ज
11.	भानुप्रताप	टापुर	9828116900	[signature]	आपत्ति दर्ज
12.	रेखा	स. माधोपुर	9462839662	Rekha	आपत्ति दर्ज
13.	अरुण कुमार	पटवारी	8005750168	[signature]	
14.	कालूराम मीना	टापुर	9828807178	[signature]	आपत्ति दर्ज
15.	नवीन मीना	टापुर	8432551972	[signature]	आपत्ति दर्ज
16.	राजाराम चौपड़ा	टापुर	9001224707	[signature]	
17.	ममता चौधरी	टापुर	9982977624	ममता चौधरी पूर्व प्र.स. सदस्य	आपत्ति दर्ज
18.	पीलकृष्ण	टापुर	8585859260	[signature]	
19.	रविकेश	[illegible]	8824748047	रविकेश	आपत्ति दर्ज
20.	हनुमान	अजेपुरा		[thumb impression]	आपत्ति दर्ज
21.	गंगाधर	अजेपुरा	[thumb impression]		आपत्ति
22.	बलराम	अजयपुर	6377019416	[signature]	आपत्ति

[illegible] [illegible] 6378887600 [signature] आपत्ति

23.	[illegible]	[illegible]	6378887600	[illegible]
24.	दिलशाद	अगौपद्रा	8279228623	
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				

Scanned with OKEN Scanner

"परिशिष्ठ - ख"

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर लोक सुनवाई अधिकारी महोदय,

कैंप ग्राम पंचायत टापुर पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा ,

जिला -सवाई माधोपुर

विषय : खनिज विभाग द्वारा आवंटित नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी लीजों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना में पर्यावरण आपत्ति दर्ज करवाने बाबत।

महोदय,

श्रीमान जी मेसर्स श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन परियोजना, मैसर्स रणवीर सिंह खनन पट्टा संख्या/प्लांट नं.01, एरिया 51.11 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता -5,31,288. 45 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर और मैसर्स शिवम इन्फा किएशन (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 13, गणेश जी मंदिर के पास, खैरदा, सवाई माधोपुर (राजस्थान) द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन पट्टा संख्या / प्लांट नं.02, एरिया 50. 62 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 9,47,150.82 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर को बजरी की लिज आवंटन की गई हैं। जिसकी आज ग्राम पंचायत मुख्यालय टापूर में ईसी के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में जन सुनवाई के दौरान उक्त दोनों बजरी की आवंटित बजरी लीजों के के ख़िलाफ़ पर्यावरण स्वीकृत जारी नहीं की जाए क्योंकि क्षेत्र में इससे बहुत बाद नुकसान होगा और पिछले साल इस्क बाद नुकसान देखने को भी मिला।

उक्त पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में मेरी आपत्ति और शिकायत निम्न प्रकार से आपको सादर प्रस्तुत हैं।

1. श्रीमान जी खनिज विभाग द्वारा जिस खसरे में बजरी खनन के लिए लीज जारी की गई उस खसरे में पानी भरा हुआ है और चारों और पानी ही पानी है।

2. लीज से बजरी खनन होगा तो क्षेत्र में पानी की समस्या होगी जिससे किसानों को खेती खेती करने में परेशानी होगी पानी के अभाव में और कृषि भूमि बंजड़ हो जाएगी।

3. श्रीमान जी बजरी लिज धारक द्वारा नदी क्षेत्र में जेसीबी और पोकलेन से मशीनों से अंधाधुंध खनन किया जाएगा जो गहरा होने पर नदी सहित पूरे क्षेत्र का बड़े स्तर पर जलस्तर घटेगा उससे पेयजल.सहित सभी प्रकार पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न वाटर लेवल गिरेगा।

4. श्रीमान जी अभयपुर में नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी खनन स्वीकृति देने से नदी में पानी का बहाव रुक जाएगा। जिससे हजारों लाखों जलीय जीव (मछलियाँ, कछुए, केकड़े, सर्प, मगरमच्छ, जल मुर्गियाँ) सहित कई तरह के जीवों पर संकट होगा और उनकी मौत हो जाएगी।

5. श्रीमान जी नदी क्षेत्र में बजरी का खनन होगा पानी का फिल्टर नहीं होगा जिससे क्षेत्र के नलकूप, कुओं का पानी फ्लोराइड युक्त होगा और (पिछले बार किए बजरी खनन से प्रभाव भी पड़ा है,) आमजन में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी और उसका प्रभाव कृषि खेतों पर पड़ेगा जमीन ख़राब होगी, फ्लोराइड से पशुओं सहित मानव जीवन पर असर पड़ेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. श्रीमान जी बजरी खनन के बाद बजरी से आबादी क्षेत्र के आसपास और नदी किनारे भी परिवहन करने वाले सैकड़ों वाहनों से दिनरात धूल भरी हवा चलेगी जो मानव जीवन पर बड़ा असर डालेगी और मनुष्यों सहित मवेशियों को भी सांसे लेने में बड़ी बाधा होगी जिससे बीमारिया होगी।

6 श्रीमान जी बजरी वाहनों के संचालित होने पर सड़क किनारे खेतों में खरीफ और रबी फसलों सहित अमरूद के बागानों पर मिट्टी की परत जमाने पर पेड़ पौध नष्ट होंगे फल नहीं लगेंगे और पत्तों पर मिट्टी जमा से टूट सीज सुर आखिर में कृषि उपज भी नहीं मिल पाएगी।

7. श्रीमान जी नदी में बजरी खनन से गहरे गड्ढे हो जाएँगे जिसमे

पशुओं के और मानव के जाने से हादसा होगा। पूर्व में बजरी खनन के

दौरान हुए गड्ढे में पानी होने से नदी अपर करते समय हादसा होने से तीन लोगों और 500 से अधिक गोवंश, भेंड़, भेंस बकरियां की

मौत हो चुकी हैं।

8. श्रीमान जी उक्त दोनों बजरी की

लीजें बनास नदी के जल प्रभाव मुख्य धारा में शामिल हैं जिससे जलीय जीवों सहित मानव जीवन और पशुओं सहित जीव जंतु पर बड़ा असर पड़ेगा।

अत: श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस मामले पर संबंधित जगह बजरी लीज़ आवंटन वालें खसरो की खनन स्वीकृति निरस्त करवाकर नदी किनारे स्थित सरकारी भूमि और खातेदारी भूमि में खनन लिज जारी किया जाए क्योंकि दिनों बजरी की लीजें खनिज विभाग सवाई माधोपुर द्वारा बिना बजरी की उपलब्ध मात्र का पूर्वलोकन करवाए और मुख्य बनास नदी क्षेत्र के बहाव वाले मार्ग में लीजें देने से क्षेत्र में बगैर बड़ा नुकसान और जल संकट सहित कुओं और तालाबों का पानी फ्लोराइड होने सहित भूजल स्तर गिरने की पूर्ण संभावना और आशंका हैं।

प्रतिलिपि:

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर

आम जनता

निवासी ग्राम पंचायत टापूर

तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

राजेश मीणा

वार्ड नं. 8 प्रधान

खुशीराम

बलराम गुर्जर

आशाराम

सीताराम गुर्जर

खुशीराम गुर्जर

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] 01

जितु मीना

राकेश

मनराज

मुकेश

बलराम

देशराज

प्रधान मीणा

रामराज

नरेश

राकेश

मनराज

सुरेश प्रजापत

बलराम

मुरलीराम गुर्जर

सीताराम

वीरसिंह

रामदेव

रामराज

नि० हनुमान गूजर 01

नि० गंगाधर केवट

मुकेश मीणा

हरिराज

[illegible]

सीताराम

बलराम गुर्जर

लखपत

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर लोक सुनवाई अधिकारी महोदय,

कैंप ग्राम पंचायत टापुर पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा ,

जिला -सवाई माधोपुर

विषय : खनिज विभाग द्वारा आवंटित नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी लीजों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना में पर्यावरण आपत्ति दर्ज करवाने बाबत।

महोदय,

श्रीमान जी मेसर्स श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन परियोजना, मैसर्स रणवीर सिंह खनन पट्टा संख्या/प्लांट नं.01, एरिया 51.11 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता -5,31,288. 45 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर और मैसर्स शिवम इन्फा किएशन (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 13, गणेश जी मंदिर के पास, खैरदा, सवाई माधोपुर (राजस्थान) द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन पट्टा संख्या / प्लांट नं.02, एरिया 50. 62 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 9,47,150.82 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर को बजरी की लिज आवंटन की गई हैं। जिसकी आज ग्राम पंचायत मुख्यालय टापूर में ईसी के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में जन सुनवाई के दौरान उक्त दोनों बजरी की आवंटित बजरी लीजों के के ख़िलाफ़ पर्यावरण स्वीकृत जारी नहीं की जाए क्योंकि क्षेत्र में इससे बहुत बाद नुकसान होगा और पिछले साल इस्क बाद नुकसान देखने को भी मिला।

उक्त पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में मेरी आपत्ति और शिकायत निम्न प्रकार से आपको सादर प्रस्तुत हैं।

1. श्रीमान जी खनिज विभाग द्वारा जिस खसरे में बजरी खनन के लिए लीज जारी की गई उस खसरे में पानी भरा हुआ है और चारों और पानी ही पानी है।

2. लीज से बजरी खनन होगा तो क्षेत्र में पानी की समस्या होगी जिससे किसानों को खेती खेती करने में परेशानी होगी पानी के अभाव में और कृषि भूमि बंजड़ हो जाएगी।

3. श्रीमान जी बजरी लिज धारक द्वारा नदी क्षेत्र में जेसीबी और पोकलेन से मशीनों से अंधाधुंध खनन किया जाएगा जो गहरा होने पर नदी सहित पूरे क्षेत्र का बड़े स्तर पर जलस्तर घटेगा उससे पेयजल सहित सभी प्रकार पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न वाटर लेवल गिरेगा।

4. श्रीमान जी अभयपुर में नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी खनन स्वीकृति देने से नदी में पानी का बहाव रुक जाएगा। जिससे हजारों लाखों जलीय जीव (मछलियाँ, कछुए, केकड़े, सर्प, मगरमच्छ, जल मुर्गियाँ) सहित कई तरह के जीवों पर संकट होगा और उनकी मौत हो जाएगी।

5. श्रीमान जी नदी क्षेत्र में बजरी का खनन होगा पानी का फिल्टर नहीं होगा जिससे क्षेत्र के नलकूप, कुओं का पानी फ्लोराइड युक्त होगा और (पिछले बार किए बजरी खनन से प्रभाव भी पड़ा है,) आमजन में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी और उसका प्रभाव कृषि खेतों पर पड़ेगा जमीन ख़राब होगी, फ्लोराइड से पशुओं सहित मानव जीवन पर असर पड़ेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. श्रीमान जी बजरी खनन के बाद बजरी से आबादी क्षेत्र के आसपास और नदी किनारे भी परिवहन करने वाले सैकड़ों वाहनों से दिनरात धूल भरी हवा चलेगी जो मानव जीवन पर बड़ा असर डालेगी और मनुष्यों सहित मवेशियों को भी सांसे लेने में बड़ी बाधा होगी जिससे बीमारिया होगी।

6 श्रीमान जी बजरी वाहनों के संचालित होने पर सड़क किनारे खेतों में खरीफ और रबी फसलों सहित अमरूद के बागानों पर मिट्टी की परत जमाने पर पेड़ पौध नष्ट होंगे फल नहीं लगेंगे और पत्तों पर मिट्टी जमा से टूट सीज सुर आखिर में कृषि उपज भी नहीं मिल पाएगी।

7. श्रीमान जी नदी में बजरी खनन से गहरे गड्ढे हो जाएँगे जिसमे

पशुओं के और मानव के जाने से हादसा होगा। पूर्व में बजरी खनन के

दौरान हुए गड्ढे में पानी होने से नदी अपर करते समय हादसा होने से तीन लोगों और 500 से अधिक गोवंश, भेंड़, भेंस बकरियां की

मौत हो चुकी हैं।

8. श्रीमान जी उक्त दोनों बजरी की

लीजें बनास नदी के जल प्रभाव मुख्य धारा में शामिल हैं जिससे जलीय जीवों सहित मानव जीवन और पशुओं सहित जीव जंतु पर बड़ा असर पड़ेगा।

अत: श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस मामले पर संबंधित जगह बजरी लीज़ आवंटन वालें खसरो की खनन स्वीकृति निरस्त करवाकर नदी किनारे स्थित सरकारी भूमि और खातेदारी भूमि में खनन लिज जारी किया जाए क्योंकि दिनों बजरी की लीजें खनिज विभाग सवाई माधोपुर द्वारा बिना बजरी की उपलब्ध मात्र का पूर्वलोकन करवाए और मुख्य बनास नदी क्षेत्र के बहाव वाले मार्ग में लीजें देने से क्षेत्र में बगैर बड़ा नुकसान और जल संकट सहित कुओं और तालाबों का पानी फ्लोराइड होने सहित भूजल स्तर गिरने की पूर्ण संभावना और आशंका हैं।

प्रतिलिपि:

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर

प्रार्थी छीतोलाल

नाम - छीतोलाल मीणा

पिता का नाम - केदार प्रसाद मीणा।

निवासी ग्राम पंचायत टापूर

तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

मोबाइल संख्या : 9414990919

Scanned with OKEN Scanner

"परिशिष्ट -स"

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर लोक सुनवाई अधिकारी महोदय,

कैंप ग्राम पंचायत टापुर पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा ,

जिला -सवाई माधोपुर

विषय : खनिज विभाग द्वारा आवंटित नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी लीजों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना में पर्यावरण आपत्ति दर्ज करवाने बाबत।

महोदय,

श्रीमान जी मेसर्स श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन परियोजना, मैसर्स रणवीर सिंह खनन पट्टा संख्या/प्लांट नं.01, एरिया 51.11 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता -5,31,288. 45 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर और मैसर्स शिवम इन्फा किएशन (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 13, गणेश जी मंदिर के पास, खैरदा, सवाई माधोपुर (राजस्थान) द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन पट्टा संख्या / प्लांट नं.02, एरिया 50. 62 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 9,47,150.82 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर को बजरी की लिज आवंटन की गई हैं। जिसकी आज ग्राम पंचायत मुख्यालय टापूर में ईसी के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में जन सुनवाई के दौरान उक्त दोनों बजरी की आवंटित बजरी लीजों के के ख़िलाफ़ पर्यावरण स्वीकृत जारी नहीं की जाए क्योंकि क्षेत्र में इससे बहुत बाद नुकसान होगा और पिछले साल इस्क बाद नुकसान देखने को भी मिला।

उक्त पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में मेरी आपत्ति और शिकायत निम्न प्रकार से आपको सादर प्रस्तुत हैं।

1. श्रीमान जी खनिज विभाग द्वारा जिस खसरे में बजरी खनन के लिए लीज जारी की गई उस खसरे में पानी भरा हुआ है और चारों और पानी ही पानी है।

2. लीज से बजरी खनन होगा तो क्षेत्र में पानी की समस्या होगी जिससे किसानों को खेती खेती करने में परेशानी होगी पानी के अभाव में और कृषि भूमि बंजड़ हो जाएगी।

3. श्रीमान जी बजरी लिज धारक द्वारा नदी क्षेत्र में जेसीबी और पोकलेन से मशीनों से अंधाधुंध खनन किया जाएगा जो गहरा होने पर नदी सहित पूरे क्षेत्र का बड़े स्तर पर जलस्तर घटेगा उससे पेयजल सहित सभी प्रकार पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न वाटर लेवल गिरेगा।

4. श्रीमान जी अभयपुर में नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी खनन स्वीकृति देने से नदी में पानी का बहाव रुक जाएगा। जिससे हजारों लाखों जलीय जीव (मछलियाँ, कछुए, केकड़े, सर्प, मगरमच्छ, जल मुर्गियाँ) सहित कई तरह के जीवों पर संकट होगा और उनकी मौत हो जाएगी।

5. श्रीमान जी नदी क्षेत्र में बजरी का खनन होगा पानी का फिल्टर नहीं होगा जिससे क्षेत्र के नलकूप, कुओं का पानी फ्लोराइड युक्त होगा और (पिछले बार किए बजरी खनन से प्रभाव भी पड़ा है,) आमजन में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी और उसका प्रभाव कृषि खेतों पर पड़ेगा जमीन ख़राब होगी, फ्लोराइड से पशुओं सहित मानव जीवन पर असर पड़ेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. श्रीमान जी बजरी खनन के बाद बजरी से आबादी क्षेत्र के आसपास और नदी किनारे भी परिवहन करने वाले सैकड़ों वाहनों से दिनरात धूल भरी हवा चलेगी जो मानव जीवन पर बड़ा असर डालेगी और मनुष्यों सहित मवेशियों को भी सांसे लेने में बड़ी बाधा होगी जिससे बीमारिया होगी।

6 श्रीमान जी बजरी वाहनों के संचालित होने पर सड़क किनारे खेतों में खरीफ और रबी फसलों सहित अमरूद के बागानों पर मिट्टी की परत जमाने पर पेड़ पौध नष्ट होंगे फल नहीं लगेंगे और पत्तों पर मिट्टी जमा से टूट सीज सुर आखिर में कृषि उपज भी नहीं मिल पाएगी।

7. श्रीमान जी नदी में बजरी खनन से गहरे गड्ढे हो जाएँगे जिसमे

पशुओं के और मानव के जाने से हादसा होगा। पूर्व में बजरी खनन के

दौरान हुए गड्ढे में पानी होने से नदी अपर करते समय हादसा होने से तीन लोगों और 500 से अधिक गोवंश, भेड़, भेंस बकरियां की

मौत हो चुकी हैं।

8. श्रीमान जी उक्त दोनों बजरी की

लीजें बनास नदी के जल प्रभाव मुख्य धारा में शामिल हैं जिससे जलीय जीवों सहित मानव जीवन और पशुओं सहित जीव जंतु पर बड़ा असर पड़ेगा।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस मामले पर संबंधित जगह बजरी लीज़ आवंटन वालें खसरो की खनन स्वीकृति निरस्त करवाकर नदी किनारे स्थित सरकारी भूमि और खातेदारी भूमि में खनन लिज जारी किया जाए क्योंकि दिनों बजरी की लीजें खनिज विभाग सवाई माधोपुर द्वारा बिना बजरी की उपलब्ध मात्र का पूर्वलोकन करवाए और मुख्य बनास नदी क्षेत्र के बहाव वाले मार्ग में लीजें देने से क्षेत्र में बगैर बड़ा नुकसान और जल संकट सहित कुओं और तालाबों का पानी फ्लोराइड होने सहित भूजल स्तर गिरने की पूर्ण संभावना और आशंका हैं।

प्रतिलिपि:

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर

प्रार्थी

नाम - कल्याण गुर्जर

पिता का नाम - भंवरलाल गुर्जर

निवासी ग्राम पंचायत टापूर

तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

मोबाइल संख्या : 6377019416

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर लोक सुनवाई अधिकारी महोदय,

कैंप ग्राम पंचायत टापुर पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा ,

जिला -सवाई माधोपुर

विषय : खनिज विभाग द्वारा आवंटित नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी लीजों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना में पर्यावरण आपत्ति दर्ज करवाने बाबत।

महोदय,

श्रीमान जी मेसर्स श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन परियोजना, मैसर्स रणवीर सिंह खनन पट्टा संख्या/प्लांट नं.01, एरिया 51.11 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता -5,31,288. 45 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर और मैसर्स शिवम इन्फा किएशन (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 13, गणेश जी मंदिर के पास, खैरदा, सवाई माधोपुर (राजस्थान) द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन पट्टा संख्या / प्लांट नं.02, एरिया 50. 62 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 9,47,150.82 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर को बजरी की लिज आवंटन की गई हैं। जिसकी आज ग्राम पंचायत मुख्यालय टापूर में ईसी के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में जन सुनवाई के दौरान उक्त दोनों बजरी की आवंटित बजरी लीजों के के ख़िलाफ़ पर्यावरण स्वीकृत जारी नहीं की जाए क्योंकि क्षेत्र में इससे बहुत बाद नुकसान होगा और पिछले साल इस्क बाद नुकसान देखने को भी मिला।

उक्त पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में मेरी आपत्ति और शिकायत निम्न प्रकार से आपको सादर प्रस्तुत हैं।

1. श्रीमान जी खनिज विभाग द्वारा जिस खसरे में बजरी खनन के लिए लीज जारी की गई उस खसरे में पानी भरा हुआ है और चारों ओर पानी ही पानी है।

2. लीज से बजरी खनन होगा तो क्षेत्र में पानी की समस्या होगी जिससे किसानों को खेती खेती करने में परेशानी होगी पानी के अभाव में और कृषि भूमि बंजड़ हो जाएगी।

3. श्रीमान जी बजरी लिज धारक द्वारा नदी क्षेत्र में जेसीबी और पोकलेन से मशीनों से अंधाधुंध खनन किया जाएगा जो गहरा होने पर नदी सहित पूरे क्षेत्र का बड़े स्तर पर जलस्तर घटेगा उससे पेयजल सहित सभी प्रकार पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न वाटर लेवल गिरेगा।

4. श्रीमान जी अभयपुर में नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी खनन स्वीकृति देने से नदी में पानी का बहाव रुक जाएगा। जिससे हजारों लाखों जलीय जीव (मछलियाँ, कछुए, केकड़े, सर्प, मगरमच्छ, जल मुर्गियाँ) सहित कई तरह के जीवों पर संकट होगा और उनकी मौत हो जाएगी।

5. श्रीमान जी नदी क्षेत्र में बजरी का खनन होगा पानी का फिल्टर नहीं होगा जिससे क्षेत्र के नलकूप, कुओं का पानी फ्लोराइड युक्त होगा और (पिछले बार किए बजरी खनन से प्रभाव भी पढ़ा है,) आमजन में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी और उसका प्रभाव कृषि खेतों पर पड़ेगा जमीन ख़राब होगी, फ्लोराइड से पशुओं सहित मानव जीवन पर असर पड़ेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. श्रीमान जी बजरी खनन के बाद बजरी से आबादी क्षेत्र के आसपास और नदी किनारे भी परिवहन करने वाले सैकड़ों वाहनों से दिनरात धूल भरी हवा चलेगी जो मानव जीवन पर बड़ा असर डालेगी और मनुष्यों सहित मवेशियों को भी सांसे लेने में बड़ी बाधा होगी जिससे बीमारिया होगी।

6 श्रीमान जी बजरी वाहनों के संचालित होने पर सड़क किनारे खेतों में खरीफ और रबी फसलों सहित अमरूद के बागानों पर मिट्टी की परत जमाने पर पेड़ पौध नष्ट होंगे फल नहीं लगेंगे और पत्तों पर मिट्टी जमा से टूट सीज सुर आखिर में कृषि उपज भी नहीं मिल पाएगी।

7. श्रीमान जी नदी में बजरी खनन से गहरे गड्ढे हो जाएँगे जिसमे

पशुओं के और मानव के जाने से हादसा होगा। पूर्व में बजरी खनन के

दौरान हुए गड्ढे में पानी होने से नदी अपर करते समय हादसा होने से तीन लोगों और 500 से अधिक गोवंश, भेंड़, भेंस बकरियां की

मौत हो चुकी हैं।

8. श्रीमान जी उक्त दोनों बजरी की

लीजें बनास नदी के जल प्रभाव मुख्य धारा में शामिल हैं जिससे जलीय जीवों सहित मानव जीवन और पशुओं सहित जीव जंतु पर बड़ा असर पड़ेगा।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस मामले पर संबंधित जगह बजरी लीज़ आवंटन वाले खसरो की खनन स्वीकृति निरस्त करवाकर नदी किनारे स्थित सरकारी भूमि और खातेदारी भूमि में खनन लिज जारी किया जाए क्योंकि दिनों बजरी की लीजें खनिज विभाग सवाई माधोपुर द्वारा बिना बजरी की उपलब्ध मात्र का पूर्वलोकन करवाए और मुख्य बनास नदी क्षेत्र के बहाव वाले मार्ग में लीजें देने से क्षेत्र में बगैर बड़ा नुकसान और जल संकट सहित कुओं और तालाबों का पानी फ्लोराइड होने सहित भूजल स्तर गिरने की पूर्ण संभावना और आशंका हैं।

प्रतिलिपिः

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर

प्रार्थी सुरेश

नाम - सुरेश गुर्जर

पिता का नाम - राजाराम गुर्जर

निवासी ग्राम पंचायत टापूर

तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

मोबाइल संख्या : 8432288881

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर लोक सुनवाई अधिकारी महोदय,

कैंप ग्राम पंचायत टापुर पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा ,

जिला -सवाई माधोपुर

विषय : खनिज विभाग द्वारा आवंटित नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी लीजों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना में पर्यावरण आपत्ति दर्ज करवाने बाबत।

महोदय,

श्रीमान जी मेसर्स श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन परियोजना, मैसर्स रणवीर सिंह खनन पट्टा संख्या/प्लांट नं.01, एरिया 51.11 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता -5,31,288. 45 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर और मैसर्स शिवम इन्फ्रा किएशन (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 13, गणेश जी मंदिर के पास, खैरदा, सवाई माधोपुर (राजस्थान) द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन पट्टा संख्या / प्लांट नं.02, एरिया 50. 62 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 9,47,150.82 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर को बजरी की लिज आवंटन की गई हैं। जिसकी आज ग्राम पंचायत मुख्यालय टापूर में ईसी के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में जन सुनवाई के दौरान उक्त दोनों बजरी की आवंटित बजरी लीजों के के खिलाफ़ पर्यावरण स्वीकृत जारी नहीं की जाए क्योंकि क्षेत्र में इससे बहुत बाद नुकसान होगा और पिछले साल इस्क बाद नुकसान देखने को भी मिला।

उक्त पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में मेरी आपत्ति और शिकायत निम्न प्रकार से आपको सादर प्रस्तुत हैं।

1. श्रीमान जी खनिज विभाग द्वारा जिस खसरे में बजरी खनन के लिए लीज जारी की गई उस खसरे में पानी भरा हुआ है और चारों और पानी ही पानी है।

2. लीज से बजरी खनन होगा तो क्षेत्र में पानी की समस्या होगी जिससे किसानों को खेती खेती करने में परेशानी होगी पानी के अभाव में और कृषि भूमि बंजड़ हो जाएगी।

3. श्रीमान जी बजरी लिज धारक द्वारा नदी क्षेत्र में जेसीबी और पोकलेन से मशीनों से अंधाधुंध खनन किया जाएगा जो गहरा होने पर नदी सहित पूरे क्षेत्र का बड़े स्तर पर जलस्तर घटेगा उससे पेयजल सहित सभी प्रकार पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न वाटर लेवल गिरेगा।

4. श्रीमान जी अभयपुर में नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी खनन स्वीकृति देने से नदी में पानी का बहाव रुक जाएगा। जिससे हजारों लाखों जलीय जीव (मछलियाँ, कछुए, केकड़े, सर्प, मगरमच्छ, जल मुर्गियाँ) सहित कई तरह के जीवों पर संकट होगा और उनकी मौत हो जाएगी।

5. श्रीमान जी नदी क्षेत्र में बजरी का खनन होगा पानी का फिल्टर नहीं होगा जिससे क्षेत्र के नलकूप, कुओं का पानी फ्लोराइड युक्त होगा और (पिछले बार किए बजरी खनन से प्रभाव भी पड़ा है,) आमजन में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी और उसका प्रभाव कृषि खेतों पर पड़ेगा जमीन ख़राब होगी, फ्लोराइड से पशुओं सहित मानव जीवन पर असर पड़ेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. श्रीमान जी बजरी खनन के बाद बजरी से आबादी क्षेत्र के आसपास और नदी किनारे भी परिवहन करने वाले सैकड़ों वाहनों से दिनरात धूल भरी हवा चलेगी जो मानव जीवन पर बड़ा असर डालेगी और मनुष्यों सहित मवेशियों को भी सांस लेने में बड़ी बाधा होगी जिससे बीमारिया होगी।

6 श्रीमान जी बजरी वाहनों के संचालित होने पर सड़क किनारे खेतों में खरीफ और रबी फसलों सहित अमरूद के बागानों पर मिट्टी की परत जमाने पर पेड़ पौधे नष्ट होंगे फल नहीं लगेंगे और पत्तों पर मिट्टी जमा से टूट सीज सुर आखिर में कृषि उपज भी नहीं मिल पाएगी।

7. श्रीमान जी नदी में बजरी खनन से गहरे गड्ढे हो जाएँगे जिसमे

पशुओं के और मानव के जाने से हादसा होगा। पूर्व में बजरी खनन के

दौरान हुए गड्ढे में पानी होने से नदी अपर करते समय हादसा होने से तीन लोगों और 500 से अधिक गोवंश, भैंड, भैंस बकरियां की

मौत हो चुकी हैं।

8. श्रीमान जी उक्त दोनों बजरी की

लीजें बनास नदी के जल प्रभाव मुख्य धारा में शामिल हैं जिससे जलीय जीवों सहित मानव जीवन और पशुओं सहित जीव जंतु पर बड़ा असर पड़ेगा।

अत: श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस मामले पर संबंधित जगह बजरी लीज़ आवंटन वाले खसरो की खनन स्वीकृति निरस्त करवाकर नदी किनारे स्थित सरकारी भूमि और खातेदारी भूमि में खनन लिज जारी किया जाए क्योंकि दिनों बजरी की लीजें खनिज विभाग सवाई माधोपुर द्वारा बिना बजरी की उपलब्ध मात्र का पूर्वलोकन करवाए और मुख्य बनास नदी क्षेत्र के बहाव वाले मार्ग में लीजें देने से क्षेत्र में बगैर बड़ा नुकसान और जल संकट सहित कुओं और तालाबों का पानी फ्लोराइड होने सहित भूजल स्तर गिरने की पूर्ण संभावना और आशंका हैं।

प्रतिलिपि:

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर

प्रार्थी खुशीराम

नाम - खुशीराम गुर्जर

पिता का नाम - राजाराम गुर्जर

निवासी ग्राम पंचायत टापूर

तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

मोबाइल संख्या : 9928363565

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर लोक सुनवाई अधिकारी महोदय,

कैंप ग्राम पंचायत टापुर पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा ,

जिला -सवाई माधोपुर

विषय : खनिज विभाग द्वारा आवंटित नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी लीजों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना में पर्यावरण आपत्ति दर्ज करवाने बाबत।

महोदय,

श्रीमान जी मेसर्स श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन परियोजना, मैसर्स रणवीर सिंह खनन पट्टा संख्या/प्लांट नं.01, एरिया 51.11 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता -5,31,288. 45 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर और मैसर्स शिवम इन्फ्रा किएशन (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 13, गणेश जी मंदिर के पास, खैरदा, सवाई माधोपुर (राजस्थान) द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन पट्टा संख्या / प्लांट नं.02, एरिया 50. 62 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 9,47,150.82 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर को बजरी की लिज आवंटन की गई हैं। जिसकी आज ग्राम पंचायत मुख्यालय टापूर में ईसी के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में जन सुनवाई के दौरान उक्त दोनों बजरी की आवंटित बजरी लीजों के के ख़िलाफ़ पर्यावरण स्वीकृत जारी नहीं की जाए क्योंकि क्षेत्र में इससे बहुत बाद नुकसान होगा और पिछले साल इस्क बाद नुकसान देखने को भी मिला।

उक्त पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में मेरी आपत्ति और शिकायत निम्न प्रकार से आपको सादर प्रस्तुत हैं।

1. श्रीमान जी खनिज विभाग द्वारा जिस खसरे में बजरी खनन के लिए लीज जारी की गई उस खसरे में पानी भरा हुआ है और चारों और पानी ही पानी है।

2. लीज से बजरी खनन होगा तो क्षेत्र में पानी की समस्या होगी जिससे किसानों को खेती खेती करने में परेशानी होगी पानी के अभाव में और कृषि भूमि बंजड़ हो जाएगी।

3. श्रीमान जी बजरी लिज धारक द्वारा नदी क्षेत्र में जेसीबी और पोकलेन से मशीनों से अंधाधुंध खनन किया जाएगा जो गहरा होने पर नदी सहित पूरे क्षेत्र का बड़े स्तर पर जलस्तर घटेगा उससे पेयजल सहित सभी प्रकार पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न वाटर लेवल गिरेगा।

4. श्रीमान जी अभयपुर में नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी खनन स्वीकृति देने से नदी में पानी का बहाव रुक जाएगा। जिससे हजारों लाखों जलीय जीव (मछलियाँ, कछुए, केकड़े, सर्प, मगरमच्छ, जल मुर्गियाँ) सहित कई तरह के जीवों पर संकट होगा और उनकी मौत हो जाएगी।

5. श्रीमान जी नदी क्षेत्र में बजरी का खनन होगा पानी का फिल्टर नहीं होगा जिससे क्षेत्र के नलकूप, कुओं का पानी फ्लोराइड युक्त होगा और (पिछले बार किए बजरी खनन से प्रभाव भी पड़ा है,) आमजन में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी और उसका प्रभाव कृषि खेतों पर पड़ेगा जमीन ख़राब होगी, फ्लोराइड से पशुओं सहित मानव जीवन पर असर पड़ेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. श्रीमान जी बजरी खनन के बाद बजरी से आबादी क्षेत्र के आसपास और नदी किनारे भी परिवहन करने वाले सैकड़ों वाहनों से दिनरात धूल भरी हवा चलेगी जो मानव जीवन पर बड़ा असर डालेगी और मनुष्यों सहित मवेशियों को भी सांसे लेने में बढ़ी बाधा होगी जिससे बीमारिया होगी।

6 श्रीमान जी बजरी वाहनों के संचालित होने पर सड़क किनारे खेतों में खरीफ और रबी फसलों सहित अमरूद के बागानों पर मिट्टी की परत जमाने पर पेड़ पौध नष्ट होंगे फल नहीं लगेंगे और पत्तों पर मिट्टी जमा से टूट सीज सुर आखिर में कृषि उपज भी नहीं मिल पाएगी।

7. श्रीमान जी नदी में बजरी खनन से गहरे गड्ढे हो जाएँगे जिसमे

पशुओं के और मानव के जाने से हादसा होगा। पूर्व में बजरी खनन के

दौरान हुए गड्ढे में पानी होने से नदी अपर करते समय हादसा होने से तीन लोगों और 500 से अधिक गोवंश, भेंड़, भेंस बकरियां की

मौत हो चुकी हैं।

8. श्रीमान जी उक्त दोनों बजरी की

लीजें बनास नदी के जल प्रभाव मुख्य धारा में शामिल हैं जिससे जलीय जीवों सहित मानव जीवन और पशुओं सहित जीव जंतु पर बड़ा असर पड़ेगा।

अत: श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस मामले पर संबंधित जगह बजरी लीज़ आवंटन वालें खसरो की खनन स्वीकृति निरस्त करवाकर नदी किनारे स्थित सरकारी भूमि और खातेदारी भूमि में खनन लिज जारी किया जाए क्योंकि दिनों बजरी की लीजें खनिज विभाग सवाई माधोपुर द्वारा बिना बजरी की उपलब्ध मात्र का पूर्वलोकन करवाए और मुख्य बनास नदी क्षेत्र के बहाव वाले मार्ग में लीजें देने से क्षेत्र में बगैर बड़ा नुकसान और जल संकट सहित कुओं और तालाबों का पानी फ्लोराइड होने सहित भूजल स्तर गिरने की पूर्ण संभावना और आशंका हैं।

प्रतिलिपि:

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर

प्रार्थी

नाम - जगदीश केवट

पिता का नाम - मंगला केवट

निवासी ग्राम पंचायत टापूर

तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

मोबाइल संख्या : 8008034612

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर लोक सुनवाई अधिकारी महोदय,

कैंप ग्राम पंचायत टापुर पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा ,

जिला -सवाई माधोपुर

विषय : खनिज विभाग द्वारा आवंटित नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी लीजों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना में पर्यावरण आपत्ति दर्ज करवाने बाबत।

महोदय,

श्रीमान जी मेसर्स श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन परियोजना, मैसर्स रणवीर सिंह खनन पट्टा संख्या/प्लांट नं.01, एरिया 51.11 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता -5,31,288. 45 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर और मैसर्स शिवम इन्फा किएशन (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 13, गणेश जी मंदिर के पास, खैरदा, सवाई माधोपुर (राजस्थान) द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन पट्टा संख्या / प्लांट नं.02, एरिया 50. 62 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 9,47,150.82 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर को बजरी की लिज आवंटन की गई हैं। जिसकी आज ग्राम पंचायत मुख्यालय टापूर में ईसी के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में जन सुनवाई के दौरान उक्त दोनों बजरी की आवंटित बजरी लीजों के के ख़िलाफ़ पर्यावरण स्वीकृत जारी नहीं की जाए क्योंकि क्षेत्र में इससे बहुत बाद नुकसान होगा और पिछले साल इस्क बाद नुकसान देखने को भी मिला।

उक्त पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में मेरी आपत्ति और शिकायत निम्न प्रकार से आपको सादर प्रस्तुत हैं।

1. श्रीमान जी खनिज विभाग द्वारा जिस खसरे में बजरी खनन के लिए लीज जारी की गई उस खसरे में पानी भरा हुआ है और चारों और पानी ही पानी है।

2. लीज से बजरी खनन होगा तो क्षेत्र में पानी की समस्या होगी जिससे किसानों को खेती खेती करने में परेशानी होगी पानी के अभाव में और कृषि भूमि बंजड़ हो जाएगी।

3. श्रीमान जी बजरी लिज धारक द्वारा नदी क्षेत्र में जेसीबी और पोकलेन से मशीनों से अंधाधुंध खनन किया जाएगा जो गहरा होने पर नदी सहित पूरे क्षेत्र का बड़े स्तर पर जलस्तर घटेगा उससे पेयजल सहित सभी प्रकार पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न वाटर लेवल गिरेगा।

4. श्रीमान जी अभयपुर में नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी खनन स्वीकृति देने से नदी में पानी का बहाव रुक जाएगा। जिससे हजारों लाखों जलीय जीव (मछलियाँ, कछुए, केकड़े, सर्प, मगरमच्छ, जल मुर्गियाँ) सहित कई तरह के जीवों पर संकट होगा और उनकी मौत हो जाएगी।

5. श्रीमान जी नदी क्षेत्र में बजरी का खनन होगा पानी का फिल्टर नहीं होगा जिससे क्षेत्र के नलकूप, कुओं का पानी फ्लोराइड युक्त होगा और (पिछले बार किए बजरी खनन से प्रभाव भी पड़ा है,) आमजन में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी और उसका प्रभाव कृषि खेतों पर पड़ेगा जमीन ख़राब होगी, फ्लोराइड से पशुओं सहित मानव जीवन पर असर पड़ेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. श्रीमान जी बजरी खनन के बाद बजरी से आबादी क्षेत्र के आसपास और नदी किनारे भी परिवहन करने वाले सैकड़ों वाहनों से दिनरात धूल भरी हवा चलेगी जो मानव जीवन पर बड़ा असर डालेगी और मनुष्यों सहित मवेशियों को भी सांसे लेने में बड़ी बाधा होगी जिससे बीमारिया होगी।

6 श्रीमान जी बजरी वाहनों के संचालित होने पर सड़क किनारे खेतों में खरीफ और रबी फसलों सहित अमरूद के बागानों पर मिट्टी की परत जमाने पर पेड़ पौध नष्ट होंगे फल नहीं लगेंगे और पत्तों पर मिट्टी जमा से टूट सीज सुर आखिर में कृषि उपज भी नहीं मिल पाएगी।

7. श्रीमान जी नदी में बजरी खनन से गहरे गड्ढे हो जाएँगे जिसमे

पशुओं के और मानव के जाने से हादसा होगा। पूर्व में बजरी खनन के

दौरान हुए गड्ढे में पानी होने से नदी अपर करते समय हादसा होने से तीन लोगों और 500 से अधिक गोवंश, भेंड़, भेंस बकरियां की

मौत हो चुकी हैं।

8. श्रीमान जी उक्त दोनों बजरी की

लीजें बनास नदी के जल प्रभाव मुख्य धारा में शामिल हैं जिससे जलीय जीवों सहित मानव जीवन और पशुओं सहित जीव जंतु पर बड़ा असर पड़ेगा।

अत: श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस मामले पर संबंधित जगह बजरी लीज़ आवंटन वालें खसरो की खनन स्वीकृति निरस्त करवाकर नदी किनारे स्थित सरकारी भूमि और खातेदारी भूमि में खनन लिज जारी किया जाए क्योंकि दिनों बजरी की लीजें खनिज विभाग सवाई माधोपुर द्वारा बिना बजरी की उपलब्ध मात्र का पूर्वलोकन करवाए और मुख्य बनास नदी क्षेत्र के बहाव वाले मार्ग में लीजें देने से क्षेत्र में बगैर बड़ा नुकसान और जल संकट सहित कुओं और तालाबों का पानी फ्लोराइड होने सहित भूजल स्तर गिरने की पूर्ण संभावना और आशंका हैं।

प्रतिलिपि:

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर

प्रार्थी

नाम - हनुमान गुर्जर

पिता का नाम - सुरजमल गुर्जर

निवासी ग्राम पंचायत टापूर

तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

मोबाइल संख्या : 8890151078

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर लोक सुनवाई अधिकारी महोदय,

कैंप ग्राम पंचायत टापुर पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा ,

जिला -सवाई माधोपुर

विषय : खनिज विभाग द्वारा आवंटित नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी लीजों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना में पर्यावरण आपत्ति दर्ज करवाने बाबत।

महोदय,

श्रीमान जी मेसर्स श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन परियोजना, मैसर्स रणवीर सिंह खनन पट्टा संख्या/प्लांट नं.01, एरिया 51.11 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता -5,31,288. 45 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर और मैसर्स शिवम इन्फा किएशन (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 13, गणेश जी मंदिर के पास, खैरदा, सवाई माधोपुर (राजस्थान) द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन पट्टा संख्या / प्लांट नं.02, एरिया 50. 62 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 9,47,150.82 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर को बजरी की लिज आवंटन की गई हैं। जिसकी आज ग्राम पंचायत मुख्यालय टापूर में ईसी के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में जन सुनवाई के दौरान उक्त दोनों बजरी की आवंटित बजरी लीजों के के ख़िलाफ़ पर्यावरण स्वीकृत जारी नहीं की जाए क्योंकि क्षेत्र में इससे बहुत बाद नुकसान होगा और पिछले साल इस्क बाद नुकसान देखने को भी मिला।

उक्त पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में मेरी आपत्ति और शिकायत निम्न प्रकार से आपको सादर प्रस्तुत हैं।

1. श्रीमान जी खनिज विभाग द्वारा जिस खसरे में बजरी खनन के लिए लीज जारी की गई उस खसरे में पानी भरा हुआ है और चारों और पानी ही पानी है।

2. लीज से बजरी खनन होगा तो क्षेत्र में पानी की समस्या होगी जिससे किसानों को खेती खेती करने में परेशानी होगी पानी के अभाव में और कृषि भूमि बंजड़ हो जाएगी।

3. श्रीमान जी बजरी लिज धारक द्वारा नदी क्षेत्र में जेसीबी और पोकलेन से मशीनों से अंधाधुंध खनन किया जाएगा जो गहरा होने पर नदी सहित पूरे क्षेत्र का बड़े स्तर पर जलस्तर घटेगा उससे पेयजल सहित सभी प्रकार पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न वाटर लेवल गिरेगा।

4. श्रीमान जी अभयपुर में नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी खनन स्वीकृति देने से नदी में पानी का बहाव रुक जाएगा। जिससे हजारों लाखों जलीय जीव (मछलियाँ, कछुए, केकड़े, सर्प, मगरमच्छ, जल मुर्गियाँ) सहित कई तरह के जीवों पर संकट होगा और उनकी मौत हो जाएगी।

5. श्रीमान जी नदी क्षेत्र में बजरी का खनन होगा पानी का फिल्टर नहीं होगा जिससे क्षेत्र के नलकूप, कुओं का पानी फ्लोराइड युक्त होगा और (पिछले बार किए बजरी खनन से प्रभाव भी पड़ा है,) आमजन में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी और उसका प्रभाव कृषि खेतों पर पड़ेगा जमीन ख़राब होगी, फ्लोराइड से पशुओं सहित मानव जीवन पर असर पड़ेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. श्रीमान जी बजरी खनन के बाद बजरी से आबादी क्षेत्र के आसपास और नदी किनारे भी परिवहन करने वाले सैकड़ों वाहनों से दिनरात धूल भरी हवा चलेगी जो मानव जीवन पर बड़ा असर डालेगी और मनुष्यों सहित मवेशियों को भी सांसे लेने में बड़ी बाधा होगी जिससे बीमारिया होगी।

6 श्रीमान जी बजरी वाहनों के संचालित होने पर सड़क किनारे खेतों में खरीफ और रबी फसलों सहित अमरूद के बागानों पर मिट्टी की परत जमाने पर पेड़ पौधे नष्ट होंगे फल नहीं लगेंगे और पत्तों पर मिट्टी जमा से टूट सीज सुर आखिर में कृषि उपज भी नहीं मिल पाएगी।

7. श्रीमान जी नदी में बजरी खनन से गहरे गड्ढे हो जाएँगे जिसमे

पशुओं के और मानव के जाने से हादसा होगा। पूर्व में बजरी खनन के

दौरान हुए गड्ढे में पानी होने से नदी अपर करते समय हादसा होने से तीन लोगों और 500 से अधिक गोवंश, भेंड़, भेंस बकरियां की

मौत हो चुकी हैं।

8. श्रीमान जी उक्त दोनों बजरी की

लीजें बनास नदी के जल प्रभाव मुख्य धारा में शामिल हैं जिससे जलीय जीवों सहित मानव जीवन और पशुओं सहित जीव जंतु पर बड़ा असर पड़ेगा।

अत: श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस मामले पर संबंधित जगह बजरी लीज़ आवंटन वालें खसरो की खनन स्वीकृति निरस्त करवाकर नदी किनारे स्थित सरकारी भूमि और खातेदारी भूमि में खनन लिज जारी किया जाए क्योंकि दिनों बजरी की लीजें खनिज विभाग सवाई माधोपुर द्वारा बिना बजरी की उपलब्ध मात्र का पूर्वलोकन करवाए और मुख्य बनास नदी क्षेत्र के बहाव वाले मार्ग में लीजें देने से क्षेत्र में बगैर बड़ा नुकसान और जल संकट सहित कुओं और तालाबों का पानी फ्लोराइड होने सहित भूजल स्तर गिरने की पूर्ण संभावना और आशंका हैं।

प्रतिलिपि:

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर

प्रार्थी सितारम

नाम - सितारम

पिता का नाम - कन्हैयालाल मीणा

निवासी ग्राम पंचायत टापूर

तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

मोबाइल संख्या : 7976067144

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर लोक सुनवाई अधिकारी महोदय,

कैंप ग्राम पंचायत टापुर पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा ,

जिला -सवाई माधोपुर

विषय : खनिज विभाग द्वारा आवंटित नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी लीजों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना में पर्यावरण आपत्ति दर्ज करवाने बाबत।

महोदय,

श्रीमान जी मेसर्स श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन परियोजना, मैसर्स रणवीर सिंह खनन पट्टा संख्या/प्लांट नं.01, एरिया 51.11 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता -5,31,288. 45 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर और मैसर्स शिवम इन्फा किएशन (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 13, गणेश जी मंदिर के पास, खैरदा, सवाई माधोपुर (राजस्थान) द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन पट्टा संख्या / प्लांट नं.02, एरिया 50. 62 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 9,47,150.82 टन (ROM), क्लस्टर क्षेत्रफल - 101.73 हैक्टर, निकट ग्राम अभयपुर, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर को बजरी की लिज आवंटन की गई हैं। जिसकी आज ग्राम पंचायत मुख्यालय टापूर में ईसी के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में जन सुनवाई के दौरान उक्त दोनों बजरी की आवंटित बजरी लीजों के के ख़िलाफ़ पर्यावरण स्वीकृत जारी नहीं की जाए क्योंकि क्षेत्र में इससे बहुत बाद नुकसान होगा और पिछले साल इस्क बाद नुकसान देखने को भी मिला।

उक्त पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में मेरी आपत्ति और शिकायत निम्न प्रकार से आपको सादर प्रस्तुत हैं।

1. श्रीमान जी खनिज विभाग द्वारा जिस खसरे में बजरी खनन के लिए लीज जारी की गई उस खसरे में पानी भरा हुआ है और चारों और पानी ही पानी है।

2. लीज से बजरी खनन होगा तो क्षेत्र में पानी की समस्या होगी जिससे किसानों को खेती खेती करने में परेशानी होगी पानी के अभाव में और कृषि भूमि बंजड़ हो जाएगी।

3. श्रीमान जी बजरी लिज धारक द्वारा नदी क्षेत्र में जेसीबी और पोकलेन से मशीनों से अंधाधुंध खनन किया जाएगा जो गहरा होने पर नदी सहित पूरे क्षेत्र का बड़े स्तर पर जलस्तर घटेगा उससे पेयजल सहित सभी प्रकार पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न वाटर लेवल गिरेगा।

4. श्रीमान जी अभयपुर में नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी खनन स्वीकृति देने से नदी में पानी का बहाव रुक जाएगा। जिससे हजारों लाखों जलीय जीव (मछलियाँ, कछुए, केकड़े, सर्प, मगरमच्छ, जल मुर्गियाँ) सहित कई तरह के जीवों पर संकट होगा और उनकी मौत हो जाएगी।

5. श्रीमान जी नदी क्षेत्र में बजरी का खनन होगा पानी का फिल्टर नहीं होगा जिससे क्षेत्र के नलकूप, कुओं का पानी फ्लोराइड युक्त होगा और (पिछले बार किए बजरी खनन से प्रभाव भी पड़ा है,) आमजन में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी और उसका प्रभाव कृषि खेतों पर पड़ेगा जमीन ख़राब होगी, फ्लोराइड से पशुओं सहित मानव जीवन पर असर पड़ेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. श्रीमान जी बजरी खनन के बाद बजरी से आबादी क्षेत्र के आसपास और नदी किनारे भी परिवहन करने वाले सैकड़ों वाहनों से दिनरात धूल भरी हवा चलेगी जो मानव जीवन पर बड़ा असर डालेगी और मनुष्यों सहित मवेशियों को भी सांसे लेने में बड़ी बाधा होगी जिससे बीमारिया होगी।

6 श्रीमान जी बजरी वाहनों के संचालित होने पर सड़क किनारे खेतों में खरीफ और रबी फसलों सहित अमरूद के बागानों पर मिट्टी की परत जमाने पर पेड़ पौध नष्ट होंगे फल नहीं लगेंगे और पत्तों पर मिट्टी जमा से टूट सीज सुर आखिर में कृषि उपज भी नहीं मिल पाएगी।

7. श्रीमान जी नदी में बजरी खनन से गहरे गड्ढे हो जाएँगे जिसमे

पशुओं के और मानव के जाने से हादसा होगा। पूर्व में बजरी खनन के

दौरान हुए गड्ढे में पानी होने से नदी अपर करते समय हादसा होने से तीन लोगों और 500 से अधिक गोवंश, भेंड़, भेंस बकरियां की

मौत हो चुकी हैं।

8. श्रीमान जी उक्त दोनों बजरी की

लीजें बनास नदी के जल प्रभाव मुख्य धारा में शामिल हैं जिससे जलीय जीवों सहित मानव जीवन और पशुओं सहित जीव जंतु पर बड़ा असर पड़ेगा।

अत: श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस मामले पर संबंधित जगह बजरी लीज़ आवंटन वालें खसरो की खनन स्वीकृति निरस्त करवाकर नदी किनारे स्थित सरकारी भूमि और खातेदारी भूमि में खनन लिज जारी किया जाए क्योंकि दिनों बजरी की लीजें खनिज विभाग सवाई माधोपुर द्वारा बिना बजरी की उपलब्ध मात्र का पूर्वलोकन करवाए और मुख्य बनास नदी क्षेत्र के बहाव वाले मार्ग में लीजें देने से क्षेत्र में बगैर बड़ा नुकसान और जल संकट सहित कुओं और तालाबों का पानी फ्लोराइड होने सहित भूजल स्तर गिरने की पूर्ण संभावना और आशंका हैं।

प्रतिलिपि:

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर

प्रार्थी रामकिशोर गुर्जर

नाम - रामकिशोर गुर्जर

पिता का नाम - भैंरुलाल गुर्जर

निवासी ग्राम पंचायत टापूर

तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

मोबाइल संख्या : 7878606391

Scanned with OKEN Scanner